

मूल वाद में डिक्री
(आदेश 20, नियम 6-7, जाब्ता चीवानी)
न्यायालय, उपखण्ड अधिकारी एवम् पदेन सहायक कलक्टर टिब्बी

तहसील अधिकारी :- स्वाति गुप्ता आर.एस.
संख्या :- 102/2024

1. सरदूलसिंह पुत्र जंगीरसिंह जाति जटसिख निवासी शिलवाला खुर्द तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ़।
2. सुखचरणसिंह पुत्र जंगीरसिंह जाति जटसिख निवासी शिलवाला खुर्द तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ़।

-- वादीगण

बनाम

1. सुखमन्द्रसिंह पुत्र जंगीरसिंह जाति जटसिख निवासी शिलवाला खुर्द तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ़।
2. प्रदीप सिंह पुत्र जगतेजसिंह जाति जटसिख निवासी शिलवाला खुर्द तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ़।
3. सुखदीपकौर पत्नी जगतेजसिंह जाति जटसिख निवासी शिलवाला खुर्द तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ़।
4. तहसीलदार राजस्य टिब्बी।

-- प्रतिवादीगण

दावा अन्तर्गत धारा 88 आर.टी.ए.घोषणा


निर्णय

दिनांक :- 16.8.2024

वादीगण की ओर से श्री सुभाषचन्द्र गर्ग अधिवक्ता की व प्रतिवादीगण की ओर से श्री करनैलसिंह की उपस्थिति में इस वाद में आज तारीख 16.8.2024 को स्वाति गुप्ता आर.एस. उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर टिब्बी के समक्ष अन्तिम निपटारे के लिए पेश होने पर, आदेश किया जाता है और डिक्री दी जाती है कि

- (क) वादी संख्या 1 सरदूलसिंह, वादी संख्या 2 सुखचरणसिंह को 40है040 प्राप्त आराजी :- चक 3 जी.जी.आर. के खाता संख्या 31/91 में कुल 4.262 हैक्टर में से प्रतिवादी संख्या 1 सुखमन्द्र सिंह का 599/4262 हिस्सा में से 2/3 हिस्सा, प्रतिवादी संख्या 2 प्रदीप सिंह के 213/2113 हिस्सा में से 2/3 हिस्सा, प्रतिवादी संख्या 3 सुखदीपकौर का 213/2113 हिस्सा में से 2/3 हिस्सा चक नम्बर 3 जी.जी.आर. के खाता संख्या 32/34 में कुल 1.012 हैक्टर में से प्रतिवादी संख्या 1 सुखमन्द्र सिंह का 1/20 हिस्सा में से 2/3 हिस्सा, प्रतिवादी संख्या 2 प्रदीप सिंह के 1/40 हिस्सा में से 2/3 हिस्सा, प्रतिवादी संख्या 3 सुखदीपकौर का 1/40 हिस्सा में से 2/3 हिस्सा चक 3 जी.जी.आर. के खाता संख्या 33/33 में कुल 5.060 हैक्टर में से प्रतिवादी संख्या 1 सुखमन्द्र सिंह का 1/40 हिस्सा में से 2/3 हिस्सा, प्रतिवादी संख्या 2 प्रदीप सिंह के 1/80 हिस्सा में से 2/3 हिस्सा, प्रतिवादी संख्या 3 सुखदीपकौर का 1/80 हिस्सा में से 2/3 हिस्सा चक 3 जी.जी.आर. के खाता संख्या 90/227 में कुल 17.963 हैक्टर में से प्रतिवादी संख्या 1 सुखमन्द्र सिंह का 245/35926 हिस्सा में से 2/3 हिस्सा, प्रतिवादी संख्या 2 प्रदीप सिंह के 61/17963 हिस्सा में से 2/3 हिस्सा, प्रतिवादी संख्या 3 सुखदीप कौर का 61/17963 हिस्सा में से 2/3 हिस्सा

आधिकारी एवं
सहायक कलक्टर
टिब्बी



चक नम्बर 8 एसएल.डबल्यू के खाता संख्या 52/18 में कुल 2.277 हेक्टर में से प्रतिवादी संख्या 1 सुखमन्द्र सिंह का 1/10 हिस्सा में से 2/3 हिस्सा, प्रतिवादी संख्या 2 प्रदीप सिंह के 1/20 हिस्सा में से 2/3 हिस्सा, प्रतिवादी संख्या 3 सुखदीपकौर का 1/20 हिस्सा में से 2/3 हिस्सा

चक 8 एसएल.डबल्यू के खाता संख्या 63/51 में कुल 0.253 हेक्टर में से प्रतिवादी संख्या 1 सुखमन्द्र सिंह का 1/24 हिस्सा में से 2/3 हिस्सा, प्रतिवादी संख्या 2 प्रदीप सिंह के 1/24 हिस्सा में से 2/3 हिस्सा, प्रतिवादी संख्या 3 सुखदीपकौर का 1/24 हिस्सा में से 2/3 हिस्सा

चक 8 एसएल.डबल्यू के खाता संख्या 164/75 में कुल 3.289 हे० में से प्रतिवादी संख्या 1 सुखमन्द्र सिंह का 15/3289 हिस्सा में से 2/3 हिस्सा, प्रतिवादी संख्या 2 प्रदीप सिंह के 15/3289 हिस्सा में से 2/3 हिस्सा, प्रतिवादी संख्या 3 सुखदीपकौर का 15/3289 हिस्सा में से 2/3 हिस्सा

(ख). प्रतिवादी संख्या 1 सुखमन्द्र सिंह को 1/2 हिस्सा, प्रतिवादी संख्या 2 प्रदीप सिंह व 3 सुखदीपकौर को बहिस्स बराबर 1/2 हिस्सा प्राप्त आराजी - चक नम्बर 3 जी.जी.आर. के खाता संख्या 34/35 में कुल 0.506 हेक्टर में से वादी संख्या 1 सरदूलसिंह का 1/5 हिस्सा, वादी संख्या 2 सुखचरणसिंह (चरणसिंह) का 1/5 हिस्सा, चक नम्बर 3 जी.जी.आर. के खाता संख्या 202/32 में कुल 1.265 हेक्टर में से वादी संख्या 1 सरदूल सिंह का 1/5 हिस्सा, वादी संख्या 2 सुखचरणसिंह उर्फ चरणसिंह का 1/5 हिस्सा, इसी चक के खाता संख्या 30/37 में कुल 1.265 हेक्टर में वादी संख्या 1 सरदूल सिंह का 1/5 हिस्सा, वादी संख्या 2 सुखचरणसिंह (चरणसिंह) का 1/5 हिस्सा के खातेदार काश्तकार घोषित किये जाकर चक नम्बर 3 जी.जी.आर. के खाता संख्या 31/91, खाता संख्या 32/34, खाता संख्या 33/33, 90/227, चक नम्बर 8 एस.एल.डबल्यू के खाता संख्या 52/18, खाता संख्या 63/51, खाता संख्या 164/75 में से प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 का हिस्सा कम, चक नम्बर 3 जी.जी.आर. के खाता संख्या 34/35, खाता संख्या 202/32, खाता संख्या 30/37 में से वादी संख्या का नाम कलमजन किये जाने के आदेश दिये जाते हैं।

तहसीलदार (राजस्व) टिब्बी को आदेशित किया जाता है कि उक्त वर्णित भूमि समस्त प्रकार से भार मुक्त होने की स्थिति में उक्तानुसार राजस्व रिकॉर्ड में अंकन किया जाकर लगान कायम किया जावे। भूमि की किरम (यथा नहरी/वाराणी/गैरमुमकिन) पूर्वानुसार ही रहेगी जिसमें किसी प्रकार का कोई बदलाव नहीं किया जावेगा।

खर्चा फरीकैन अपना-अपना वहन करेंगे। यह डिक्री आज दिनांक 16.8.24 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

मुहर



(स्वाति गुप्ता)
उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलेक्टर
टिब्बी